

इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 9 फरवरी 2026—माघ 20, शक 1947

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2026

क्र. TRP-3-0001-2025-Sec-1-आठ-(TRP).— मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 68 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक TRP-3-0001-2025-Sec-1-आठ, दिनांक 28 मार्च, 2025 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, संपूर्ण राज्य में उक्त धारा की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शक्तियों तथा कृत्यों का निर्वहन करने के लिये निम्नलिखित अधिकारियों, से मिलकर बनने वाले राज्य परिवहन प्राधिकरण का तत्काल प्रभार से, पुनर्गठन करती है, अर्थात् :—

अधिकारी

- | | |
|--|----------------------|
| 1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी. | — अध्यक्ष |
| 2. परिवहन आयुक्त | — सदस्य |
| 3. मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट उपसचिव/अवर सचिव. | — प्राधिकरण का सचिव. |

परिवहन विभाग के भारसाधक-सचिव एवं संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) को प्राधिकरण में सहायता करने हेतु प्राधिकरण विशेष आमंत्रितियों के रूप में आमंत्रित कर सकेगा.

TRP-3-0001-2025-Sec-1-VIII (TRP) .— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 68 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and in supersession of this department's Notification No. TRP-3-0001-2025-Sec-1-VIII, dated 28th March, 2025, the State Government, hereby, reconstitutes with immediate effect, the State Transport Authority consisting of the following officials, to exercise and discharge the powers and functions specified in sub-section (3) of the said section throughout the State, namely :—

OFFICIALS

- | | | | |
|----|--|---|-------------------------------|
| 1. | Additional Chief Secretary/Principal Secretary Level Officer
nominated by the Government of Madhya Pradesh. | — | Chairman |
| 2. | Transport Commissioner | — | Member |
| 3. | Deputy Secretary/Under Secretary nominated by the
Transport Department, Government of Madhya Pradesh. | — | Secretary of
the Authority |

The Authority may invite the Secretary-in-charge of the Transport Department and the Joint Commissioner (Administration) as special invitees to assist the Authority.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष सिंह, सचिव.